**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1572**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**विवादों के समाधान के लिए विशेषज्ञ पैनल**

**1572. श्री आनन्द शर्माः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तेल एवं गैस क्षेत्र में विवादों के समयबद्ध समाधान के लिए किसी विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख):  अन्‍वेषण संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ाने, घरेलू और विदेशी निवेश को आकृष्‍ट करने तथा सहजता से कारोबार करने को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से सरकार ने दिनांक 28.02.2019 की अधिसूचना द्वारा बाहरी प्रतिष्ठित व्‍यक्तियों/विशेषज्ञों की एक समिति गठन करने का निर्णय लिया है।  इस निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने विवाद निपटान के लिए दिनांक 16.12.2019 की अधिसूचना द्वारा तीन बाहरी प्रतिष्ठित व्‍यक्तियों/विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

समिति की प्रमुख शर्तें निम्‍नवत हैं:-

i सदस्‍यों का कार्यकाल:  समिति के सदस्‍यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

ii सदस्‍यों की शक्तियां और कार्य: समिति मध्‍यस्‍थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों के बीच विवादों के निपटान हेतु सुलह और मध्‍यस्‍थ कार्यवाहियां करने के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी प्रकार के कार्यो का निर्वहन करेगी और यह प्रयास करेगी कि समिति की पहली बैठक की तारीख से तीन माह के अंदर समझौता करार हो जाए।

iii सुलहकर्ता और मध्‍यस्‍थ के तौर पर कार्य करने वाली समिति जब कभी अपेक्षित हो अपने कर्तव्‍यों का निर्वहन करने में मदद और सहायता के लिए तीसरे पक्षकार/विशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं ले सकती है।

iv भारत के अन्‍वेषण ब्‍लॉकों/क्षेत्रों से संबंधित संविदाओं से उत्‍पन्‍न होने वाले किसी प्रकार का विवाद अथवा मतभेद समिति को भेजा जा सकता है यदि संविदा करने वाले दोनों पक्षकार लिखित में सुलह और मध्‍यस्‍थता के लिए सहमत हों और इस पर भी सहमत हो कि इसके पश्‍चात मध्‍यस्‍थता कार्यवाहियों को चुनौती नहीं दी जाएगी।

v विवाद निपटान से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्‍त होने पर, समिति सुलह/ मध्‍यस्‍थता की कार्यवाही करेगी। इस प्रकार की कार्यवाहियां निष्‍पक्षता, न्‍याय और पूर्ण विवेक के सिद्धांतों पर आधारित होंगी। प्रक्रियात्‍मक पहलू के लिए, समिति मध्‍यस्‍थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग III में यथा उल्‍ल‍िखित सिद्धांतों और विनियमों की सहारा ले सकती है।

vi पक्षकार अपना मामला सुलहकर्ता अथवा मध्‍यस्‍थकर्ता के तौर पर कार्य करने वाली समिति के कर्मचारियों अथवा कार्यपालकों के माध्‍यम से समिति के समक्ष रखेंगे। अधिवक्‍ता और परामर्शदाता सुलह कार्यवाहियों में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक कि समिति यह नहीं पाती कि कार्यवाहियों के संबंध में दायर किए गए आवेदन में कुछ कानूनी प्रकृति से जुड़ा कोई मुद्दा है अथवा विवादाधीन कोई ऐसा मुद्दा जिसके लिए उच्‍च विशेषज्ञता की जानकारी अपेक्षित हो और अधिवक्‍ता अथवा परामर्शदाता द्वारा उसका स्‍पष्‍टीकरण/व्‍याख्‍या अपेक्षित हो और वे इस बात का ध्‍यान रखेंगे कि ऐसी मदद अथवा भागीदारी के अभाव में सुलह अथवा मध्‍यस्‍थता की कार्यवाही में पक्षकार के हितों की बात पर्याप्‍तत: नहीं रखी जाएगी।

vii पक्षकार सुलह अथवा मध्‍यस्‍थता की सूचना की तारीख से किसी दावों और प्रति-दावों पर समझौता करार होने तक, यदि कोई हो, कोई ब्‍याज का दावा नहीं करेंगें।

viii स‍मि‍ति के समक्ष सुलह अथवा मध्‍यस्‍थता कार्यवाहियों पर समिति, तृतीय पक्षकार/विशेषज्ञ एजेंसी के सदस्‍यों के शुल्‍क सहित खर्च की गई समस्‍त लागत और व्‍ययों को पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। तथापि, अधिवक्‍ता अथवा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए अनुरोध करने वाला पक्षकार ऐसे अधिवक्‍ता अथवा परामर्शदाता द्वारा लिया जाने वाला शुल्‍क वहन करेगा।

ix मध्‍यस्‍थता अथवा न्‍यायिक कार्यवाहियों के लंबित रहने से समिति के सामने सुलह अथवा मध्‍यस्‍थता की कार्यवाही शुरू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, भले ही सुलह अथवा मध्‍यस्‍थता की कार्यवाही मध्‍यस्‍थता अथवा न्‍यायिक कार्यवाहियों के समान विषय-वस्‍तु/मुद्दे पर हो।

\*\*\*\*